

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

संख्या 15/डी०एल०ए०-2150/रा० दिनांक - 04-09-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- मोचारिम, थाना नं० 424 अंचल बोधगया थाना बोधगया, जिला-गया के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मुचल्लिंद सरोवर के विस्तार एवं अन्य पर्यटकीय सुविधाओं के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसके लिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वाक्त ग्राम- मोचारिम, थाना नं० 424 अंचल बोधगया थाना बोधगया, जिला-गया के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक कमोवेश रकवा 3.33 एकड़ होता है जिसका सर्वे खेसरा निम्नांकित है -

पूर्ण खेसरा:- 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2037/7708, 2038, 2039, 2040, 2041, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060,

चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर - खेसरा संख्या - 2027 रास्ता

दक्षिण - खेसरा सं० 2042, 2043, 2050, 2068, 2067, 2069

पूरब - खजवती बोधगया रोड

पश्चिम - खेसरा सं० 2059 सरोवर

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1884 की धारा 4 के उपबन्धों के अधिन (यथा बिहार अधिनियम या भूमि के खास भाग के बीच पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

201

सरकार के अवर सचिव

समाह

गया।


ज्ञापांक ~~डी०एल०ए०~~ पहुँच पथ...../रा० दिनांक ०५-०९-१३

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को प्रारूप की तीन प्रतियों में सी०डी० सहित दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू अर्जन पदाधिकारी, गया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, समाहरणालय, गया को जिला गजट को अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियों विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/अपर समाहर्ता/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के ~~सचिव~~ सचिव